दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-(क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी किए जाने की तिथि से **पैंतालीस [45] दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को लिखित रूप में **अथवा** ई-मेल द्वारा **mpd2021.public@dda.org.in** पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई–मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन :

पैरा/ क्र.सं.	दिल्ली मुख्य योजना–2021	
	विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/आशोधन
	अध्याय 4.0 आश्रय व्यवस्था (शैल्टर)	
1.	पैरा 4.4.3 आवासीय परिसरों के अंदर भवन/भवनों के लिए नियंत्रण झ. राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह	
	अन्य नियंत्रणः निर्मित क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग मी. पर ~~2~~ ई.सी.एस. के हिसाब से पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी।	अन्य नियंत्रणः निर्मित क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग मी. पर ***1.0*** ई.सी.एस. के हिसाब से पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी।

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.–2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य–दिवसों में उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली–110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात् **https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx** पर भी उपलब्ध है।

हस्ता./–

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

फाइल सं.: एफ.20(09)2015–एम.पी
दिनांक : 16.10.2020
स्थान : नई दिल्ली

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in देखें या टोल फ्री नं. 1800110332 पर डायल करें